बाल अधिकारों के संरक्षण और सम्बर्द्धन में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिका (संकल्पना पत्र)

बच्चों के साथ हिंसा, बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सहभागिता पर हुये शोध और अध्ययन यह दर्शाते हैं कि भारत में बच्चों के अधिकार को तरजीह नहीं दिया गया है। भारत सरकार की बाल अधिकारों पर विभिन्न घोषणाओं/वचनबाध्यताओं के बावजूद भारत में लाखों बच्चें हिंसा, शोषण, कुपोषण, बीमारी एवं असमय मातृत्व की समस्याओं के शिकार है। इन बच्चों में से लड़कियां ज्यादा बुरी स्थिति में है। यद्यपि बाल अधिकारों के संरक्षण की प्रमुख जबावदेही सरकार की है परन्तु 'सेन्टर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिस (सी.एच.एस.जे.) का मानना है कि समुदाय के पुरुष व बच्चों के पिता तथा अभिभावक, बच्चों के अधिकार संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभा सकते है।

जेण्डर भेदभाव, महिला हिंसा और महिलाओं/युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों पर बहुसंख्य शोध पुरुषों के एक नकारात्मक तस्वीर पेश करते है। घर के अन्दर जेण्डर समानता, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार और बच्चों की देखभाल और परिवरिश में पुरुषों की भागीदारी जहां एक ओर बहुत कम है वहीं हिंसा और भेदभाव में पितृसत्ता प्रमुख भूमिका अदा करती है। हिंसा और जेण्डर भेदभाव का समाज में टिका रहना और विस्तार समाजीकरण की प्रक्रिया का हिंस्सा है जिसकी अगुआई पुरुष करता है। इसीलिए पूरी संकल्पना का आधार पुरुषों के सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सी. एच.एस.जे. ने विभिन्न समूहों, संस्थाओं एवं संगठनों की साझेदारी से जेण्डर समानता, महिला स्वास्थ्य अधिकार, महिला हिंसा और महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित कराने की दिशा में पुरुषों के सोच एवं व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर कई सफलतायें हासिल की हैं।

सी.एच.एस.जे. ने पुरुषों के जरिये महिला हिंसा, जेण्डरगत भेदभाव, महिला स्वास्थ्य अधिकारों की परिधि में किये जा रहे प्रयासों के क्रम में बाल अधिकारों के संरक्षण में जिम्मेदार पिता के रूप में पुरुषों की पहल को आगे लाने के लिए एक अभियान की संकल्पना की है। इस अभियान के प्रमुख आयाम निम्नानुसार है।

1. राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के सम्वर्द्धन एवं संरक्षण तथा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करना जिसमें बाल अधिकारों पर कार्य कर रहे संगठनों/संस्थाओं/एक्टीविस्ट्स के साथ–साथ, नारीवादी संगठनों/समूहों/संस्थाओं, मानवाधिकार संगठनों/कार्यकर्ताओं, महिला स्वास्थ्य अधिकारों एवं जेण्डर समानता तथा महिला हिंसा/महिला अधिकारों के लिए पुरुषों के साथ पहल कर रहे संगठन की साझेदारी हो।

   राष्ट्रीय स्तर के इस प्लेटफार्म को सक्रिय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर–

   क. परामर्श, कार्यशाला, बैठकों का आयोजन

   ख. उपरोक्त कार्यक्रमों में अनुभवों की साझीदारी और अभियान की दिशा और नियोजन में सहयोग के अलावा विभिन्न राज्यों के अलग–अलग जगहों/संगठनों के परिस्थितियों तथा सफलता या असफलता की कहानियों को व्यापक फलक पर लाने के लिए आई.टी. प्लेटफॉर्म का निर्माण।

   ग. राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के लिए पैरोकारी।

घ. राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के संरक्षण एवं देखभाल में जिम्मेदार पिता के रूप में पुरुषों की भूमिका को बढ़ावा देने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।

ड. राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकरों से सम्बन्धित नीतियों एवं विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयासों की समीक्षा आदि विभिन्न गतिविधियों होगी।

2. **राज्य स्तर पर गठजोड़ (एलाएन्स) :** विभिन्न राज्यों में बाल अधिकारों के विभिन्न संदर्भो, कार्यक्रमों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी हस्तक्षेपों में विविधताओं के मद्देनजर रखकर राज्य स्तरीय गठजोड़ की संकल्पना पूरे अभियान की प्रमुख रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस गठजोड़ के साझेदारों के साथ विभिन्न गतिविधियाँ हो सकती है जैसे–

क. राज्यस्तरीय बैठकें, संवाद, परामर्श या कार्यशालाओं का आयोजन जो आपसी जुड़ाव, मुद्दों की साझी पहचान, प्राथमिकता एवं राज्य स्तरीय गतिविधियों के नियोजन में मददगार हो सकते हैं।

ख. राज्य स्तर पर गठजोड़ एवं कुछ साझीदारों के साथ कोर ग्रुप का गठन।

ग. राज्य स्तर पर मानवाधिकारों, दलित, महिला, वंचित जनसमुदाय एवं बच्चों के अधिकारों पर सक्रिय विभिन्न नेटवर्को के साथ साझीदारी एवं जुड़ाव।

घ. राज्य स्तर पर बाल अधिकारों सम्बन्धित नीतियों, तथा सरकारी या गैर सरकारी हस्तक्षेपों पर निगरानी तथा पैरोकारी।

ड. साझीदारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ पुरुषों की पहल पर केन्द्रित दृष्टिकोण निर्माण संवाद/कार्यशाला का आयोजन तथा राज्य स्तर पर अभियान की सम्भावनाओं को तलाशना और अभियान का संचालन।

च. राज्य स्तर पर गठजोड़ में सक्रिय संगठनों/संस्थाओं/समूहों में से ऐसे साझीदारों को चिन्हित करना जो अपने कार्यक्षेत्र में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते है।

छ. राज्य स्तर पर गठजोड़ की ओर से या साझीदार संगठनों के द्वारा संचालित/आयोजित गतिविधियों और बदलावों की निगरानी करना तथा सफलता की घटनाओं को साझा करने का अवसर जुटाना और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में साझेदारी के साथ–साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान।

ज. मीडिया के साथ जुड़ाव एवं साझेदारी का प्रयास।

3. **साझीदारी संस्थाओं/संगठनों/समूहों के माध्यम से समुदाय में ''पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिका'' अभियान के स्वामित्व की कोशिश :** बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की जिम्मेवार पिता के रूप में भूमिकाओं की तालाश का सपना समुदाय द्वारा इस अभियान के स्वामित्व को ग्रहण करने से जुड़ा है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए राज्य स्तरीय गठबन्धन के जरिये चिन्हित

साझीदारों के माध्यम से उनके कार्य क्षेत्र के चुनिन्दा गांवों में पहल की रूप रेखा बनाई जायेगी। क्योंकि पुरुषों के साथ पिता के रूप में भूमिकाओं की पहल की संकल्पना परियोजना आधारित चलाकर अच्छे परिणा हासिल नहीं हो सकते अतः इसे सामुदायिक अभिक्रम के रूप में एक अभियान को उभारने की कोशिश के रूप में दखा जा रहा है। जिसमें 20 वर्ष से 35 वर्ष के युवा एक सक्रिय भूमिका निभा सकते है। जमीनी स्तर से इस अभिक्रम को एक अभियान की शक्ल में उभारने के लिए निम्न गतिविधियाँ हो सकती हैं।

क. जमीनी स्तर पर चिन्हित प्रतिबद्ध साझीदारी समूहों/संस्थाओं के साथ कैडर निर्माण।
ख. जिला/क्षेत्र/गांव/ स्तरीय बैठकों का आयोजन।
ग. मीडिया के साथ जुड़ाव।
घ. कार्यक्षेत्र स्तर/जिला स्तर पर अभियान को उभारने के लिए संवाद का आयोजन।
ड़. समुदाय की साझेदारी/नेतृत्व में अभियान।
च. जमीनी स्तर की परिस्थितियों/बदलावों की निगरानी आकलन एवं साझा करना।

बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की जिम्मेवार पिता के रूप में भूमिका पर राष्ट्रीय अभियान की उपरोक्त रूपरेखा की परिधि में निम्न प्रयास किये गये है–

बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं की सम्भावना पर राष्ट्रीय परामर्श : दिनांक 15–16 जुन 2012 को दिल्ली में एक दिवशीय परामर्श का आयोजन किया गया। इस आयोजन का प्रमुख मकसद था–

1. बाल अधिकारों के मुद्दों पर भारत में हो रहे विभिन्न पहलों, परिणामों और अनछूये मुद्दों की पहचान करना।
2. बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं की सम्भावनायें तलाशना।
3. एक ऐसी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना जो बच्चों के अधिकार को संरक्षित/संबोंधित करने की दिशा में एक साझी हितबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म की सम्भावना का निर्माण कर सके।
4. इस अभिक्रम के आगे की दिशा के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके

उक्त गोष्ठी में भारत के 12 राज्यों के करीब 85 शिरकतदारों की साझेदारी से भारत में बाल अधिकारों से जुड़ विभिन्न मुद्दों और की जा रही कोशिशों के साथ–साथ बाल अधिकार संरक्षण कानूनों की समीक्षा की गई। विभिन्न सत्रों की संस्तुतियों व चर्चा का निचोड़ था कि बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिका एक नयी परन्तु महत्वपूर्ण रणनीति है। परामर्श द्वारा बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धित कुछ मुद्दे उभर कर सामने आये जिन्हें पुरुषों की सकारात्मक भूमिका के जरिये सम्बोधित किय जा सकते हैं।

दिनांक 15–16 जून 12 के परामर्श की संस्तुतियों और बाल अधिकारों पर पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में पहल की सम्भावनाओं और विभिन्न प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों द्वारा अपने राज्यों में इस पहल को आगे ले जाने और एक जन अभियान की सम्भावनाओं के साथ भारत के 4 प्रान्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिका पर साझी पहल की एक कोशिश की जा रही है।

उ.प्र., मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बैठकें : तीनों प्रान्तों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय संस्थाओं, समूहों/फोरम के प्रतिनिधियों के साथ जुलाई माह में छोटी बैठके की गई। बैठकों में उभरकर सामने आया कि इन तीनों प्रान्तों में कुछ चुनिन्दा संगठनों के साथ जो बाल अधिकारों पर पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं को लेने के लिए आगे आ सकते है, एक बड़ी नियोजन बैठकें (प्लानिंग मीटिंग) तीन राज्यों में की गयी जिसका उददेश्य था :

1. तीनों राज्यों में ऐसी संस्थाओं/समूहों/संगठनों की साझेदारी से राज्य स्तरीय नियोजन बैठकों का आयोजन किया जाना जिनके साथ पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं पर संयुक्त पहल की सम्भावनायें है।
2. राज्य स्तर पर इस पहल को आगे ले जाने के लिए एक कोर ग्रुप का निर्माण करना जो सम्बन्धित राज्यों में इस पहल को अभियान के रूप में विकसित कर सकते हैं और जो राज्य स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करेंगे।
3. राज्य में बाल अधिकारों का परिदृश्य, होने वाले सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों के हस्तक्षेप/कार्य एवं विभिन्न मुद्दे जिनपर प्रभावी कार्य की जरूरत है का निर्धारण करना।
4. राज्य स्तर पर पहल की रूपरेखा, नियोजन, समन्वयन एवं ढ़ांचे को निर्धारित करना।

राष्ट्रीय क्षमता वर्धन कार्यशाला

इसी क्रम में बाल अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिका पर समझ व क्षमता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था जो 27–29 अक्टूबर 2012 में नई दिल्ली में होना सुनिश्चित हुआ है।

उक्त कार्यशाला मुख्य रूप से बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों, कानूनों तथा पुरुषों के साथ अलग–अलग क्षेत्र में काम करने की रणनीतियों को बनाने में मदद करेगी। उक्त कार्यशाला में राज्य स्तरीय क्षमता वृद्धि व सघन अभियान का नियोजन की किया जाएगा ताकि पूरे अभियान को गुणवत्ता के साथ रफतार दिया जा सके। कार्यशाला में विभिन्न अंचल में पिता की अधिकारों व पालक की भूमिकाओं को समझने हूतु अभिलेखन करने की जरूरत व तरीकों पर समझ बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।